न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी—मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या— 2022/147

1. मृतक भंवरलाल आत्मज घासीलाल जाति बलाई निवासी ग्राम कोटडी तहसील सांगोद जिला कोटा(राज0) जर्ये कायम मुकामान—
   1/1. चिरोंजीलाल पुत्र भंवरलाल जाति बलाई(मेघवाल) निवासी ग्राम कोटडी तहसील सांगोद जिला कोटा(राज0)।
   1/2. पप्पूलाल पुत्र भंवरलाल जाति बलाई(मेघवाल) निवासी ग्राम कोटडी तहसील सांगोद जिला कोटा(राज0)।
   1/3. संतोष पुत्री भंवरलाल जाति बलाई(मेघवाल) निवासी ग्राम कोटडी तहसील सांगोद जिला कोटा(राज0)।
   1/4. निर्मला पुत्री भंवरलाल जाति बलाई(मेघवाल) निवासी ग्राम कोटडी तहसील सांगोद जिला कोटा(राज0)।
   1/5. किशना पुत्री भंवरलाल जाति बलाई(मेघवाल) निवासी ग्राम कोटडी तहसील सांगोद जिला कोटा(राज0)।
   1/6. गुलाब पत्नी भंवरलाल जाति बलाई(मेघवाल) निवासी ग्राम कोटडी तहसील सांगोद जिला कोटा(राज0)।

— **अपीलांटगण**

बनाम

1. मृतक भंवरी बाई पत्नी आनन्दी लाल जाति किराड निवासी ग्राम मायरा तहसील खानपुर जिला झालावाड़(राज0) जर्ये कायम मुकामान—
   1/1. ओमप्रकाश पुत्र माता भवंरी बाई पिता आनन्दीलाल
   1/2. जगदीश पुत्र माता भवंरी बाई पिता आनन्दीलाल
   1/3. जोधराज पुत्र माता भवंरी बाई पिता आनन्दीलाल
   1/4. लीलाधर पुत्र माता भवंरी बाई पिता आनन्दीलाल
   1/5. नरेश पुत्र माता भवंरी बाई पिता आनन्दीलाल
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार खानपुर तहसील खानपुर जिला झालावाड़(राज0)
3. एसबीबीजे बैंक जर्ये शाखा प्रबन्धक शाखा सांगोद जिला कोटा

—**रेस्पोडेन्टगण**

उपस्थित वक्त बहस—(1). दीपक कुमार साहू— अधिवक्ता अपीलांट

(2). नरेन्द्र गुप्ता– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/5

निर्णय दिनांक 12.06.2023

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 46/2004 मे पारित निर्णय दिनांक 29.04.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि प्रार्थीगण अपीलांटगण के पिता वादी भंवरलाल ने मूलवाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी मे वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबंदी सम्वत् 2068 से 2071 मे माल ग्राम कोटडी तहसील सांगोद की खाता संख्या 177 मे दर्ज खसरा संख्या 179 रकबा 0.19 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 182/1054 रकबा 1.10 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.29 हैक्टेयर आराजी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित आराजीयात प्रार्थी को दिनांक 12.11.1979 को आवंटन हुई थी, एवं आवंटित आराजी पर मौके पर दखल दिया था एवं दिनांक 30. 05.1992 को नामान्तरकरण संख्या 350 से खातेदारी अधिकार प्रदान किये थे। जमाबंदी सम्वत् 2051 से 2054 मे उक्त इन्तकाल खातेदारी का अंकित है। जमाबंदी सम्वत् 2051 से 2054 प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी को माल ग्राम कोटडी की खसरा नम्बर 60 रकबा 8 बीघा आराजी आवंटित हुई थी। प्रार्थी अनुसूचित जाति का भूमिहीन कृषक होने से उक्त वर्णित माल ग्राम कोटडी की खसरा संख्या मि. 60 मे से 8 बीघा भूमि आवंटन हुई थी। प्रार्थी द्वारा काफी मेहनत कर व पैसा विनियोजित कर उक्त आवंटित आराजी को काश्त योग्य बनाया है। माल ग्राम कोटडी की खसरा संख्या 60 रकबा 8 बीघा की आराजी प्रार्थी करीब 30–40 वर्ष पूर्व आंवटित हुई थी एवं प्रार्थी को आवंटित रकबे पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौके पर जाकर दखल दिया गया था तब से ही प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी काबिज काश्त कर उपयोग उपभोग कर रहा है। मालग्राम कोटडी मे ही खसरा नम्बर 60 एवं खसरा नम्बर 70 के रकबे आपस मे मिले हुए व पास–पास स्थित रहे है, उक्त रकबों मे कई व्यक्तियों को भूमियां आवंटित हुई है परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा नक्शा ट्रेस मे सेटलमेंट हाल 2058 के पूर्व उनको आवंटित आराजीयात को नक्शा ट्रेस में कही पृथक–पृथक नहीं दर्शाया गया है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त खसरा नम्बरान मे से आराजीयात आवंटित मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हुई है परन्तु अप्रार्थी कमांक 1 उसको आवंटित रकबे पर आवंटित आराजी पर कभी

काबिज काश्त आज दिनांक तक आवंटन के बाद से नहीं रही है। प्रार्थी को खसरा नम्बर 60 की रकबा 8 बीघा आराजी आवंटित हुई थी उसे उस समय के तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों द्वारा जिस स्थान पर दखल दिया गया उस स्थान पर लगातार प्रार्थी 30–40 वर्ष से काबिज काश्त है। प्रार्थी बिना पढ़ा लिखा व गरीब तबके का व्यक्ति है, उसे राजस्व कर्मचारियों द्वारा आवंटन के बाद जिस जगह दखल दिया गया व वर्तमान सेटलमेंट हाल के बाद बने खसरा नम्बर 187 रकबा 1.63 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 193 रकबा 0.32 हैक्टेयर पर काबिज काश्त चला आ रहा है। वर्तमान मे खसरा नम्बर 187 अप्रार्थी क्रमांक 1 के खाते मे दर्ज रिकॉर्ड है एवं खसरा संख्या 193 सिवायचक राजस्थान सरकार के खाते मे दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आवंटित आराजी जिस पर प्रार्थी 30–40 वर्ष से काबिज काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थीनी को पिछले वर्ष अपने खातेदारी मे अंकित होने की जानकारी होने के बाद अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम लक्ष्मीपुरा का निवासी है एवं इलाके का प्रभावशाली व्यक्ति है जो अप्रार्थीनी का करीबी रिश्तेदार है, जिसके माध्यम से होने के बाद से ही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थी को उसके निरन्तर 32–33 वर्षो से कब्जे मे चली आ रही आराजी से बेदखल करने एवं उसे खुर्द–बुर्द व विक्रय करने पर आमादा है एवं इसी तरह इस वर्ष खसरा नम्बर 193 की आराजी 0.32 हैक्टेयर, जिस पर भी प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है, उसे बेदखल करने व उसके विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही करने हेतु अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा उसे दिनांक 06.01.2014 को नोटिस दिया गया है एवं उक्त खसरा नम्बर 193 की 0.32 हैक्टेयर रकबे से अप्रार्थी संख्या 3 प्रार्थी को बेदखल करने एवं मनमाना जुर्माना करने पर आमादा है, जबकि प्रार्थी किसी भी प्रकार से अतिक्रमी की हैसियत मे नहीं आता, प्रार्थी को विधि अनुसार करीब 30–40 वर्ष पूर्व 8 बीघा कृषि भूमि आंवटित हुई है उसी पर प्रार्थी बहेसियत खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है। अन्त मे अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया कि अप्रार्थीगण प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त मे 30–40 वर्ष से चली आ रही खसरा नम्बर 187 की करीब 0.96 हैक्टेयर आराजी से उसे बेदखल नहीं करें व खाते मे नाम अंकित होने के आधार पर खुर्द–बुर्द व विक्रय नहीं करें साथ ही अप्रार्थी संख्या 3 खसरा नम्बर 193 की 0.32 हैक्टेयर आराजी से प्रार्थी को बेदखल व मनमाने तरीके से उससे जुर्माना वसूल नहीं करे, तथा धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही कर उससे मनमाना जुर्माना वसूल नहीं करे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की

एसबीबीजे बैंक जये शाखा प्रबन्धक ...

पालना मे अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर दिनांक 29.04.2022 को प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 29.04.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट प्रार्थीगण की ओर से प्रथम अपील न्यायालय हाजा प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र मे वर्णित तथ्य कि उक्त आराजी अपीलांटगण को दिनांक 12.11.1979 को आवंटित हुई थी तथा दिनांक 30.05.1992 को नामान्तरकरण संख्या 350 से खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए थे तब से ही अपीलांटगण उक्त आराजी पर काश्त कर रहा है, उक्त तथ्य को नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांटगण के पिता भंवरलाल को खसरा संख्या 60 की रकबा 8 बीघा भूमि दिनांक 12.11.1979 को आवंटित की गई थी और जहां कब्जा दिया गया है वहा वादी के पिता एवं उनकी मृत्यु के पश्चात अपीलांटगण उक्त भूमि पर काबिज है यह तथ्य मूलवाद मे दोनो पक्षो की साक्ष्य आने के बाद ही निश्चय किये जायेंगे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी साक्ष्य के सेटलमेन्ट द्वारा नम्बर कायमी मे कोई गलती नहीं होने का निष्कर्ष जो निकाला है वह विधि विरूद्ध व त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण के पिता को आवंटित भूमि मौके पर उपलब्ध होना मानकर दिगर काश्तकार का अतिक्रमण एवं पड़त पढी होने का निष्कर्ष निकालकर धारा 183 की कार्यवाही करने का मत प्रकट किया है तथा प्रतिवादीगण की माता भंवरी बाई को किये गये आवंटन को निरस्त कराने का निष्कर्ष जो दिया है वह विधि विरूद्ध है, अपीलांटगण आवंटन के विरूद्ध नहीं आये है बल्कि भूमि पर जो गलत नम्बर अंकित कर दिये है उसके विरूद्ध

आये है, इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना है कि हस्तगत प्रकरण नक्शा ट्रेस की शुद्धि का है जिसको राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत प्रदान नहीं किया जा सकता है। यह निष्कर्ष बिल्कुल कानून के विरूद्ध निकाला गया है, जहां पर अपीलांटगण की भूमि है उसको नक्शे मे अन्यत्र दर्शित कर दिया गया है तो नक्शे को दुरूस्त करने की कार्यवाही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत ही होगी, इस विधिक पहलू को नहीं समझकर इसके विपरीत निष्कर्ष निकाला है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्व कार्मिकों व अन्य रिपोर्ट्स तथा शपथ–पत्रों से स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 187 रकबा 1.63 मे से 0.96 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 193 रकबा 0.32 हैक्टेयर पर अपीलांटगण कर कब्जा काश्त है। नक्शे की त्रुटि के कारण अप्रार्थीगण उस पर कब्जा करने पर आमादा है इस कारण अपीलांटगण का केस प्रथम दृष्ट्या पूर्णतया प्रमाणित है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण के पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं कर त्रुटि की है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2004 डी.एन.जे. (एस.सी.) पेज 263, 2004 डी.एन.जे.(एस.सी.) पेज 269, 2022(1) डी.एन.जे.(रेवेन्यु) पेज 774, 2022(1) डी. एन.जे.(रेवेन्यु) पेज 372, 2022(1) डी.एन.जे.(रेवेन्यु) पेज 374 प्रस्तुत किया। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.04.2022 को अपास्त किया जाकर अपीलांटगण के पक्ष मे इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा की डिकी पारित फरमाई जावे कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अपीलांटगण को उनके 30–40 वर्षो से निरन्तर कब्जेकाश्त मे चली आ रही आराजी से उसे विधि विरूद्ध बेदखल नहीं करे ना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपने नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर अपीलांटगण के कब्जे की खसरा संख्या 187 रकबा 0.96 हैक्टेयर को खुद–बुर्द व विकय नही करे। साथ ही रेस्पोडेन्ट संख्या 3 अपीलांटगण के कब्जेकाश्त व बहैसियत आवंटी खातेदार की हैसियत से चली आ रही खसरा संख्या 193 रकबा 0.32 हैक्टेयर भूमि से अपीलांटगण को बेदखल नहीं करे ना ही अपीलांटगण के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 की कार्यवाही कर उससे मनमाना जुर्माना वसूल करें, इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा की डिकी अपीलांटगण के पक्ष मे व विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 3 फरमाई जावे। अन्त मे अपील अपीलांटगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/5 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण की आराजी से अपीलांटगण का कभी कोई संबंध नहीं रहा है। अपीलांटगण व उसके पिता ने रेस्पोडेन्टगण की आराजी कभी काश्त नहीं की है। प्रार्थी को

अपीलांटगण की आराजी का कब्जा दिये जाने बाबत कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवंटित आराजी प्रारंभ से ही रेस्पोडेन्टगण के कब्जे मे चली आ रही है तथा रेस्पोडेन्टगण ने स्वयं को आवंटित आराजी को हांक जोतकर तैयार किया है। अपीलांटगण ने विवादित आराजीयात को मौके पर कभी भी काश्त नहीं किया है। रेस्पोडेन्टगण ने अपीलांटगण व उनके पिता को खसरा संख्या 193 से बेदखल करने का प्रयास नहीं किया है, तहसीलदार सांगोद को नियमानुसार खसरा संख्या 193 की सरकार भूमि काश्त करने पर धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है। अपीलांटगण स्वच्छ हाथो से नहीं आए है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक खसरा संख्या 187 की 0.96 हैक्टेयर आराजी वर्तमान मे काश्त ही नहीं हो रही है, केवल खसरा संख्या 187 की 0.59 हैक्टेयर आराजी काश्त हो रही है, खसरा नम्बर 60 की रकबा 8 बीघा आराजी से अपीलांटगण को कोई संबंध नहीं है, अपीलांटगण के पिता को आवंटित आराजी रेस्पोडेन्टगण के खाते की आराजी नहीं है, रेस्पोडेन्टगण की आराजी पर कभी भी अपीलांटगण का कब्जा नहीं रहा है, अपीलांटगण ने आवंटनशुदा आराजी पर आज तक कब्जा नहीं किया है, अपीलांटगण को आवंटित आराजी की आड से रेस्पोडेन्टगण की आराजी पर कब्जा करने के प्रयास मे है, जिसका उन्हे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलांटगण ने कोई दखलनामा प्रस्तुत नहीं किया है। रेस्पोडेन्टगण की खातेदारी की आराजीयात मे रेस्पोडेन्टगण को काश्त करने अथवा खुर्द–बुर्द, विक्रय करने का पूर्ण रूप से कानूनी अधिकार होने से रेस्पोडेन्टगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित नहीं है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट अभिलिखित खातेदार काश्तकार है अतः उन्हे पाबन्द नहीं किया जा सकता। अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किये जाने योग्य है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा का संतुलन रेस्पोडेन्टगण के पक्ष मे है तथा यदि रेस्पोडेन्टगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने पर रेस्पोडेन्टगण को अपूरणीय क्षति होगी। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. दिनांक 14.02.2016 पेज 102, 2015(1) आर.आर.टी. पेज 663, 2019(2) डी.एन.जे.(राज.) पेज 725 प्रस्तुत किया। अन्त मे अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 29.04.2022 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

7. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न फोटोप्रति खसरा

मिलान क्षेत्रफल मोजा कोटडी तहसील सांगोद जिला कोटा सम्वत 2015 से 2024 साबिक खसरा नम्बर 60 रकबा 49 बीघा के नवीन खसरा नम्बर 59 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 60 रकबा 47 बीघा 16 बिस्वा अंकित है। फोटोप्रति नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम कोटडी तहसील सांगोद जिला कोटा की साबिक खसरा नम्बर 70/1 मि. के नवीन खसरा नम्बर 171 रकबा 0.58 हैक्टेयर, साबिक खसरा नम्बर 60 मि. के नवीन खसरा नम्बर 182/1053 रकबा 0.84 हैक्टेयर , साबिक खसरा नम्बर 60 मि. के नवीन खसरा नम्बर 182/1054 रकबा 1.10 हैक्टेयर, साबिक खसरा नम्बर 61 मि. रकबा 15 बीघा के नवीन खसरा नम्बर 187 रकबा 1.63 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 61 मि. के नवीन खसरा नम्बर 188 रकबा (अपठनीय) अंकित है। फोटोप्रति पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 24.10.2013 ग्राम कोटडी तहसील सांगोद जिला कोटा की है। पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 25.06.2014 ग्राम कोटडी तहसील सांगोद की है। फोटोप्रति पेमाईश रिपोर्ट दिनांक 24.10.2013 के अवलोकन मे अंकित है कि " दिनांक 24.10.2013 को भंवरलाल पुत्र घासीलाल जाति बलाई निवासी कोटडी का खसरा नम्बर 179 रकबा 0.19, खसरा नम्बर 182/1054 रकबा 1.10 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.29 हैक्टेयर भूमि का मौका देखा गया। मौके पर खसरा नम्बर 179 रकबा 0.19 हक्टेयर पर जुगल किशोर पुत्र मंगल जाति कहार निवासी कोटडी का कब्जा है। एवं मौके पर सरसो की बुवाई कर दी है। जबकि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार खसरा नम्बर 179 रकबा 0.19 हैक्टेयर भवंरलाल पुत्र घासीलाल जाति बलाई के खाते दर्ज है। एवं खसरा नम्बर 182/1054 पर मौके पर बिलायती बंबूल खड़े है और किसी का भी कब्जा नहीं है। खसरा नम्बर 182/1054 रकबा 1.10 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार भवंरलाल पुत्र घासीलाल के नाम दर्ज है। ग्रामवासियों के बताए अनुसार प्रार्थी 30–40 वर्षो से खसरा नम्बर 187 रकबा 1.63 रकबा काबिज था परन्तु राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार खसरा नम्बर 187 रकबा 1.63 भंवरी बाई बेवा रामचन्द्र किराड के खाते दर्ज है। रिपोर्ट श्रीमान की सेवा मे पेश है" उक्त रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है तथा उक्त रिपोर्ट पर मौके पर उपस्थित मोतबीरान के हस्ताक्षर है। पेमाईश रिपोर्ट दिनांक 25.06.2014 मे अंकित है कि " मुताबिक श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कमांक/राजस्व/2014/322 दिनांक 20.06.2014 एवं श्रीमान तहसीलदा सा० सांगोद की पालना मे पटवारी हल्का कोटडी ख. न. 193, 187 व 188 पर पहुंचा साथ सांगोद पुलिस के जवान भी साथ मे थे, पुलिस के समक्ष एवं अन्य उपस्थित ग्रामवासियों के उपस्थिति मे ख.न. 187, 188, 193 की पेमाईश की गई। उक्त खसरा नम्बर पर भंवरलाल पुत्र घासीलाल जाति मेघवाल निवासी कोटडी का कब्जा बताया जा रहा है ऐसा ग्रामवासियों का कहना है। रिपोर्ट श्रीमान की सेवा मे पेश है।" उक्त रिपोर्ट दिनांक 25.06.2014 को तैयार की गई है जिस पर पटवारी तथा पुलिस कांस्टेबल तथा एक अन्य

व्यक्ति के हस्ताक्षर अंकित है। फोटोप्रति आदेशिका माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सांगोद जिला कोटा(राज0) दिनांक 30.05.2017 से दिनांक 31.10.2017 तक की है, इससे भी प्रतीत होता है कि विवादित भूमि पर अपीलांट काबिज–काश्त है। शपथ–पत्र चिरोंजीलाल पुत्र स्वर्गीय भंवरलाल जाति मेघवाल, सत्यनारायण आत्मज बाबूलाल जाति नायक, रामेश्वर आत्मज पन्नालाल जाति किराड, छीतरलाल पुत्र श्यामलाल जाति नाई, कंवरलाल आत्मज भवाना जाति किराड, हरिप्रसाद आत्मज जगन्नाथ जाति दाधीच के है, उक्त सभी व्यक्ति ग्राम कोटडी तहसील सांगोद के निवासीगण है। उक्त सभी दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी अपीलांट के खसरा संख्या 182/1054 रकबा 1.10 हैक्टेयर भूमि भवंरलाल पुत्र घासीलाल के नाम दर्ज रिकॉर्ड है परन्तु वह मौके पर काबिज नहीं है। साथ ही प्रार्थी अपीलांट कई वर्षो से खसरा संख्या 187 रकबा 1.63 हैक्टेयर की 0.96 हैक्टेयर भूमि पर काबिज है , परन्तु खसरा नम्बर 187 रकबा 1.63 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी अपीलांट के नाम खातेदारी मे दर्ज नहीं होकर प्रतिवादिया रेस्पोडेन्टगण संख्या 1/1 से 1/5 की माता भवंरीबाई बेवा रामचन्द्र के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। हस्तगत प्रकरण मे प्रार्थी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर आराजी संख्या 187 रकबा 1.63 हैक्टेयर मे से 0.96 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 193 रकबा 0.32 हैक्टेयरे पर स्वयं का 30–40 सालों से कब्जा होना बताकर प्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। साथ ही अपीलांट प्रार्थी का अपने प्रार्थना–पत्र मे यह भी कथन रहा है कि उसके कब्जे काश्त की उक्त आराजी उसे विधि अनुसार 30–40 वर्ष पूर्व आवटित हुई है तथा उसी पर प्रार्थी बहेसियत खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है। हस्तगत प्रकरण मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जो जाने के संबंध मे आवश्यक अग्रलिखित तीनो बिन्दुओं का विवेचन किया जाना आवश्यक है–1. प्रथम दृष्ट्या मामला– प्रथम दृष्ट्या मामला से तात्पर्य उस मामले से है जिसके समर्थन मे दी गई साक्ष्य पर विश्वास किसा जा सके तथा ऐसा मामला जिसे विरोधी पक्ष झूठा साबित नहीं कर सके, तो ऐसे प्रकरण को प्रथम दृष्ट्या मामला कहा जायेगा। प्रार्थी अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र मे विवादित आराजीयात स्वयं को 30–40 वर्ष पूर्व आवंटित होने एवं उस पर स्वयं का कब्जा काश्त होने का कथन किया है। पेमाईश रिपोर्ट दिनांक 24.10.2013 एवं 25.06.2014 एवं आदेशिका माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सांगोद जिला कोटा(राज0) दिनांक 31.10.2017 एवं शपथ–पत्रों के अवलोकन से विवादित आराजीयात पर प्रार्थी अपीलांट का कब्जा काश्त होना प्रथम दृष्ट्या प्रतीत होता। इस प्रकार विवादित आराजीयात पर प्रार्थी अपीलांट का लम्बी अवधि से काबिज काश्त होना प्रतीत होता है। अपीलांट प्रार्थी का विवादित आराजी

पर सैटल्ड पजेशन है। यह विधि का सामान्य नियम है कि सैटल्ड पजेशन को विधिक–प्रकिया अपनाकर ही बेदखल किया जाना उचित है। इस सम्बंध मे अपीलांट द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत 2004 डी.एन.जे.(एस.सी.) पेज 263 महत्वपूर्ण है, जो इस प्रकार है **"Specific Rilief Act[1963-Sec. 14- Suit for Injuction-Dispute over land- Plaintiff though having failed to prove title proved his possession over land-Injuction issued in his favour-Question of title left open-Held, courts below adopted right approach-Settled possession even without title is proctected by law."** खसरा नम्बर 182/1054 पर मुताबिक पटवारी रिपोर्ट किसी का कब्जा नहीं है, इससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी अपीलांट प्रारंभ से ही इसी विवादित खसरा नम्बर पर काबिज–काश्त होगा। यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि वर्षो से विवादित भूमि पर काबिज काश्त काश्तकार को अचानक बिना विधिक प्रकिया के बेदखल किया जा सकता है? हमारे मत मे प्रस्तुत प्रकरण मे प्रार्थी अपीलांट के सैटल्ड पजेशन को विधिक प्रकिया से हटाया जाना चाहिए। अपीलांट को गैर खातेदारी से खातेदारी भी प्रदान की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की फाइंडिंग रही है कि " हस्तगत प्रकरण मे मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वादीगण के पिता को आवंटित भूमि मौके पर उपलब्ध है जिसके कुछ हिस्से पर दीगर काश्तकार का अतिक्रमण है एवं शेष पडत पडी हुई है। अतः प्रार्थीगण को अपने खाते की आराजी के संबंध मे धारा 183 आर.टी.एक्ट. के तहत कार्यवाही करनी चाहिए थी। प्रार्थीगण यदि प्रतिवादीगण की माता भंवरीबाई को किए गए आवंटन को विधि विरूद्ध मानते है तो वे इस आवंटन को निरस्त कराने के लिए भी स्वतंत्र थे। हस्तगत प्रकरण मे चाही गई रिलीफ नक्शाट्रेस शुद्धि की है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत प्रदान नहीं की जा सकती अपितु भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रदान की जा सकती है इसलिए मैं अधिवक्ता प्रतिवादी के इस तर्क से सहमत हूँ कि वादीगण द्वारा इस वाद मे चाही गई रिलीफ धारा 88 आर.टी. एक्ट मे प्रदान नहीं की जा सकती। अतः जो रिलीफ मूल दावे मे प्रदान नहीं की जा सकती उस पर धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना भी मैं उचित नहीं समझती हूँ।" जब वाद वर्तमान मे लम्बित है तो पहले ही अधीनस्थ न्यायालय इस निष्कर्ष पर किस प्रकार पहुंचे? मूलवाद मे निर्णय के समय साक्ष्य, गवाहों एवं विधि की विवेचना के पश्चात अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। जब मूलवाद लम्बित हो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र मे, इस प्रकार निष्कर्ष पर पहुंचना कि वाद मे चाहा गया अनुतोष देय है अथवा नहीं है, हमारे मत मे बिना पर्याप्त साक्ष्य, गवाहो एवं विधिक विवेचना के लम्बित वाद के बारे मे निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है। अनुतोष देय है अथवा नहीं, यह मूलवाद के निस्तारण मे तय

होगा। अस्थाई निषेधाज्ञा एक अस्थाई उपचार है जिसमे विषय–वस्तु (विवादित भूमि) को उसकी वर्तमान दशा मे सुरक्षित रखा जाना होता है। मूलवाद मे साक्ष्य, गवाहो के पश्चात विधि–सम्मत निर्णय होगा। राजस्व कार्मिकों की रिपोर्ट, आदेशिका सिविल न्यायालय, शपथ–पत्रों से यह प्रथम दृष्ट्या प्रतीत होता है कि विवादित भूमि पर प्रार्थी अपीलांट काबिज काश्त है, अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष मे है।

2. सुविधा का संतुलन– सुविधा का संतुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की स्थिति मे प्रकरण के विचाराधीन रहने के दौरान किसी भी पक्ष को होने वाली संभावित हानी को प्रतिकर देकर पूरा किया जा सकता है अथवा नहीं । किसी एक के पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने पर दूसरे पक्ष को तुलनात्मक रूप से हानी होने की संभावना को सुविधा के संतुलन से विनिश्चित किया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण मे अपीलांट ने स्वयं का विगत 30–40 वर्षो से विवादित आराजीयात पर काबिज काश्त होने का कथन किया है साथ ही पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों से भी विवादित आराजी पर प्रार्थी अपीलांट काफी लम्बी अवधि से काबिज होना प्रतीत होता है, जिसके खण्डन मे रेस्पोडेन्टगण द्वारा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रार्थी अपीलांट को यदि विवादित भूमि से बिना किसी विधिक प्रकिया अपनाए बलपूर्वक बेदखल किया जाता है तो उसे असुविधा का सामना करना पड़ेगा। अतः सुविधा का संतुलन अपीलांटगण प्रार्थीगण के पक्ष मे है।

3.अपूरणीय क्षति– चूंकि अपीलांट प्रार्थी विवादित आराजीयात पर काबिज काश्त है जिसके खण्डन मे रेस्पोडेन्टगण द्वारा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। अतः बिना विधिक प्रकिया अपनाए विवादित भूमि से किसी काबिज–काश्त व्यक्ति को बेदखल किया जाता है तो अपूरणीय क्षति भी उसे होगी। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी अपीलांट के पक्ष मे है। तथा उपर्युक्त विवेचन से धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत विवेचित किए गए तीनो घटक–प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी अपीलांट के पक्ष मे पाए गए है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 46/2004 मे पारित निर्णय दिनांक 29.04.2022 निरस्त किया जाता है तथा मूलवाद के निस्तारण तक रेस्पोडेन्टगण संख्या 1/1 से 1/5 अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम कोटडी की विवादित भूमि खसरा नम्बर 187 रकबा 1.63 हैक्टेयर की 0.96

हैक्टेयर भूमि मे प्रार्थीगण अपीलांटगण के कब्जे काश्त मे दखलंदाजी नहीं करे तथा मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 12.06.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा